प्रेस विज्ञप्ति

17.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **शैलेन्द्र पसारी** की **57.96 लाख रुपये** की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, जबलपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत शैलेंद्र पसारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अपनी जांच के दौरान, सीबीआई, एसीबी, जबलपुर ने शैलेंद्र पसारी और उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति पसारी के खिलाफ 1.30 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया।

ईडी की जांच में पता चला है कि शैलेंद्र पसारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक खातों में नकदी जमा करके बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियां अर्जित की थीं और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर सावधि जमा (एफडी) बनाकर उनका शोधन किया था। इससे पहले सीबीआई ने शैलेंद्र पसारी और उनकी पत्नी के आवास, कार्यालय और लॉकरों से 72.97 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।